



2026:AHC-LKO:41841

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4441 वर्ष 2026

रामराज @ पंडित

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव,
गृह, लखनऊ

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता

: रमाकर शुक्ला

विपक्षी पक्ष(गण) के लिए अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. आवेदक-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री जी.एस. पांडे तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. आवेदक-अभियुक्त **रामराज @ पंडित** ने वर्तमान जमानत अर्जी के माध्यम से मुकदमा अपराध संख्या 0045 वर्ष 2025, धारा 103(1) बीएनएस, थाना- नवाबगंज, जिला- प्रतापगढ़ में विचारण लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।
3. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त-आवेदक को 23.05.2025 को 22:30 बजे दर्ज की गई एफआईआर में झूठा फंसाया गया है, जबकि घटना उसी दिन 19:30 बजे हुई थी। बताया जा रहा है कि मौत सूचना देने वाले के चचेरे भाई बृजेश सिंह की हुई है। एफआईआर में आरोप है कि मृतक और उसका चचेरा भाई अनुराग सिंह मोटर साइकिल पर थे, तभी अभियुक्त-आवेदक ने उन्हें रोका और बृजेश सिंह पर लोहे की रॉड से हमला किया। श्याम सिंह और बैजनाथ ने अभियुक्त-आवेदक का पीछा किया और उसकी पहचान रामराज @ पंडित के रूप में की। मृतक बृजेश सिंह को मृत घोषित कर दिया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है। मृतक के शरीर पर आई चोटों के लिए लोहे की रॉड को जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि मृतक के शरीर पर तीन कटे हुए घाव और एक खरोंच थी। मौत का कारण पूर्व-मृत्यु चोट के कारण हुआ रक्तसावी आघात था। आगे यह भी कहा गया है कि डंडा की बरामदगी अभियुक्त-आवेदक के कब्जे से दिखाई गई है। मृतक को लगी चोटें डंडे से जुड़ी नहीं थीं। चोटें जानलेवा नहीं थीं। सूचना देने वाला कथित घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक 27.03.2025 से जेल में बंद है। वह अभियुक्त-आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना करता है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अभियुक्त-आवेदक की जमानत की अर्जी का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि घटना का एक चश्मदीद गवाह है और अभियुक्त-आवेदक को उन दो गवाहों ने पहचाना था जिन्होंने उसका पीछा किया था। अभियुक्त-आवेदक द्वारा प्रयुक्त हथियार, डंडा बरामद किया गया है। अतः, जमानत याचिका निराधार है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

5. इस न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि मृतक को निम्नलिखित चोटें आई:-

- (i) मुंह के दाहिने गाल कोण का 6 सेमी गुणा 1 सेमी आकार का चीरा लगा हुआ घाव;
- (ii) ठोड़ी के बीच में निचले होंठ के 1 सेमी नीचे 6 सेमी x 1.5 सेमी का घाव था, और उसके नीचे की हड्डी टूटी हुई मिली;
- (iii) बाएं गाल पर चोट संख्या 2 से 1 सेमी की दूरी पर 4 सेमी x 0.5 सेमी का चीरा लगा घाव;
- (iv) बाएं कोहनी के जोड़ पर 3 सेमी x 1 सेमी का खरोंच।

लोहे की रॉड से चोटें पहुंचाई गई हैं, जबकि अभियुक्त-आवेदक के पास से डंडे की बरामदगी दिखाई गई है, जो कि विचारण का विषय है। अभियुक्त-आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त-आवेदक 27.03.2025 से जेल में है।

7. अतः, मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

8. संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानतियों और एक व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर, आरोपी/आवेदक को उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 एससीसी 674]** और जमानत देने की नीति रणनीति **[(2024) 10 एससीसी 685]** के मामलों में की गई टिप्पणियों के आलोक में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदक-अभियुक्त निष्पक्ष और त्वरित निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

आरती/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।